# फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जगाधरी

लक्ष्मा देवी बनाम कैलाश कौर

संख्या / वर्ष : [illegible] / 20

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 21/3/24 | पत्रावली अधिवक्ता श्री नरपत सिंह तथा कि हाजर प्रार्थिनी पक्ष वादी को पुनः रेस्टोर करने व नकल पर लिये जाने बाबत पेश किया। वकील प्रार्थी की के हाजर पेश प्रार्थिनी पक्ष को सुना। प्रार्थिनी पक्ष ने कार्यालय रिपोर्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दी है। प्रार्थी पक्ष की पैरवी की गयी। वकील प्रार्थी को प्रार्थिनी पक्ष को पुनः रेस्टोर किया जाकर नकल पाने हेतु को व्यापारिक मे स्वीकार किया जाता है तथा वकील प्रार्थी को रिकॉर्ड किया जाता है कि वह पूर्व मे पेश प्रार्थना रेस्टोरेशन मे व्यापारिक की तामील हेतु [illegible] दिया करें। पत्रावली कार्यालय के कक्ष [illegible] दिनांक [illegible] को पेश करावें। | |

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
उपमंडल मजिस्ट्रेट
जगाधरी शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:30:30 IST
Reason: SelfAttested